कम्प्यूटर परिपत्र संख्या- 1314095 दि० 05-12-2013
पत्र संख्या-स0द0- जॉच व्यवस्था - 2013-14 / 1999 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(सचलदल अनुभाग)
लखनऊ : दिनांक : दिसम्बर: 5, 2013

समस्त
जोनल एडीशनल कमिश्नर /
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0 अनु0 शा0) /
ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0 अनु0 शा0 / कार्यपालक)
वाणिज्य कर विभाग , उत्तर प्रदेश ।

वर्तमान में सचलदल इकाईयों में कार्यरत अधिकारियों के साथ-साथ कर निर्धारण अधिकारियों को धारा-45 एवं 48 के अन्तर्गत रोड चेकिंग के अधिकार प्रदान किये गये हैं । मुख्यालय के संज्ञान में यह तथ्य आये हैं कि वाहनों की जॉच के समय प्रपत्र प्राप्त किये जातें है । परिवहित किये जा रहे माल की जॉच उपलब्ध प्रपत्रों से की जाती है। वाहन पर लदे माल का भौतिक सत्यापन किया जाता है तथा माल प्रपत्रों / घोषणा के अनुरुप सही पाये जाने पर वाहन को जाने दिया जाता है तथा अनियमितता पाये जाने पर माल का अभिग्रहण करते हुये जमानत आदि जमा करायी जाती है।

एक बार इस प्रकार की कार्यवाही पूर्ण हो जाने पर मार्ग में मिलने वाले अन्य सचलदल / कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा वाहन की जॉच किये जाने हेतु वाहनों को रोका जाता है । प्रायः इन इकाईयों के अधिकारियों के संज्ञान में यह तथ्य नही रहता है कि इससे पूर्व वाहन से परिवहित किये जा रहे माल / प्रपत्रों की जॉच हो चुकी है एवं जॉच पर क्या तथ्य पाये गये है । अतः इस संबंध में यह निर्देश दिये जाते है कि वाहन से परिवहित माल / प्रपत्रों की जॉच / प्रपत्रों के संग्रहीत किये जाने पर अनिवार्य रुप से जॉच किये गये प्रपत्रों / बिल / बिल्टी / माल के वजन की पर्ची / घोषणा पत्र यदि कोई हो आदि पर जॉचकर्ता अधिकारी द्वारा अपनी मोहर लगायी जायेगी तथा हस्ताक्षर किये गये जायेगे। मोहरें दो प्रकार की तैयार करायी जाएंगी जिसका प्रारुप क एवं ख निम्नवत है :-

प्रारुप-क

इस प्रपत्र की एक प्रति प्राप्त किया / माल प्रस्तुत प्रपत्रों के विवरणों के अनुरुप है /
ई-संचरण नंबर / ई-पारगमन नंबर सर्वर से चेक किया गया जो प्रपत्रों के अनुसार है/
संबंधित वाहन संख्या- में लदे माल का पूर्ण भौतिक सत्यापन करने
पर माल प्रपत्रों के अनुरुप पाया गया।

हस्ताक्षर
नाम / पदनाम

स्थान / दिनांक

प्रारुप-ख

वाहन संख्या- में लदे माल की जॉच की गई त्रुटिपूर्ण / अनियमित माल रु0 के मूल्य पर रु0 जमानत वसूल की गई ।

हस्ताक्षर
नाम / पदनाम

स्थान / दिनांक

माल के प्रपत्रों के प्राप्त करने / माल प्रपत्रों के विवरणों के अनुरुप / ई-संचरण नंबर / ई-पारगमन नंबर / माल का पूर्ण भौतिक सत्यापन करने पर माल प्रपत्रों के अनुसार पाये जाने पर " **प्रारुप-क** " से संबंधित मोहर प्रपत्रों के फ्रन्ट (अग्र) भाग पर लगायी जायेगी एवं जो अंश संबंधित नही होंगे उन्हें काट दिया जायेगा ।

वाहन में लदे माल की जॉच पर पायी गयी त्रुटि के संबंध में " **प्रारुप-ख** " से संबंधित मोहर प्रपत्रों के फ्रन्ट (अग्र) भाग पर लगायी जायेगी ।

कृपया अधीनस्थ अधिकारियों को उपर्युक्त निर्देशों से अवगत कराते हुये निर्देशानुसार उन्हें मुहर तैयार कराने तथा प्रपत्रों पर लगाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें / करायें ।

5.12.2013

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।